

फर्द अहकाम


बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

शा. 29/11 कशोक बनाम

गोपाल

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	<u>23/11/23</u>	<p>पत्रावली फेश हुई। वकील वादी उपर प्रति. सं. 1, 3, 6, 8, 11 उपर नही शेष प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5, 7, 9, 12 की तगबी हेतु तगवाना रफिंडाक ए.डी. फेश कले हेतु दिनांक 23/5/17, 23/7/17 व 21/11/23 को न्यायालय में अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त वादी ने आज दिनांक तक शेष प्रतिवादीगण की तगबी हेतु रफिंडाक तलबना फेश नही किये हैं। वादी को शेष प्रतिवादीगण की तगबी रफिंडाक ए.डी. फेश कले हेतु लगभग 6 वर्ष तक समुचित अवसर प्रदान किये जा चुके। अतः वाद वादी अन्तर्गत 09 R 5 CPC के तहत अदम तकमील में धारित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकमीलवालि दफ्तर ही सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> उप-तहक अधिकारी जयपुर (दिली)</p>	

